दिल्ली विकास प्राधिकरण

(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

सं. एफ.2(2)2017/एम.सी/दि.वि.प्रा./29 दिनांक: 16 फरवरी, 2017

विषय: दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

कृपया राजनिवास, दिल्ली में 10 फरवरी, 2017 आयोजित को दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें। कार्यवृत्त में संशोधन, यदि कोई हो, कृपया 7 दिनों के अंदर उसका प्रस्ताव किया जाए।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

अध्यक्ष

1. श्री अनिल बैजल
   उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

3. डॉ महेश कुमार
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
4. श्री संतोष कुमार
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
5. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा
   अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
6. श्री बी.के. त्रिपाठी
   सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी.
7. श्री विजेन्दर गुप्ता,
   विधायक एवं रा.रा.क्षेत्र. दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

8. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
9. श्री एस.के.बग्गा, विधायक
10. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
11. श्री हर्षदीप मल्हौत्रा
    निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
12. श्रीमती मीरा अग्रवाल
    निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

<u>विशेष आमंत्रितगण</u>

1. डॉ एम.एम.कुट्टी
   मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
2. श्री जनक डिगल
   प्रधान सचिव (शहरी विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
3. श्री एस.एन. सहाय
   प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
4. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल दिल्ली के सचिव
5. श्री ए. अंबारसु
   सचिव (भूमि एवं भवन) रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
6. श्री के.के.जोआदर
   मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.
7. डॉ पुनीत कुमार गोयल
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
8. श्री परवीन गुप्ता
   आयुक्त, उत्तरी नगर निगम
9. श्री मोहनजीत सिंह
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
10. श्री जे.पी. अग्रवाल
    प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, आवास एवं रा.मं.खेल), दि.वि.प्रा.
11. श्री श्रीपाल
    प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भूमि प्रबंधन एवं प्रणाली), दि.वि.प्रा.

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्रीमती स्वाति शर्मा
   उपराज्यपाल दिल्ली के विशेष सचिव
2. श्री आर.एन. शर्मा
   उपराज्यपाल दिल्ली के विशेष सचिव
3. श्री अजय चौधरी
   उपराज्यपाल दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी
4. श्री विश्वेन्द्र
   उपराज्यपाल दिल्ली के निजी सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

मंत्री (शहरी विकास) मंत्रालय, भारत सरकार के निजी सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण

10 फरवरी, 2017 को राजनिवास, दिल्ली में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल

उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

1. श्री संतोष कुमार
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. (स्थानापन्न)
2. श्री दुर्गाशंकर मिश्रा
   अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. श्री विजेन्दर गुप्ता, विधायक एवं
   रा.रा.क्षे., दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
4. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
5. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
6. श्री ओ.पी.शर्मा, विधायक
7. श्री हर्षदीप मल्हौत्रा, निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
8. श्रीमती मीरा अग्रवाल, निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी.सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष आमंत्रित व्यक्ति

1. डॉ एम.एम.कुट्टी
   मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

2. श्री जनक डीगल
   प्रधान सचिव, (शहरी विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
3. श्री ए. अंबारसु
   सचिव (भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
4. श्री के.के. जोआदर
   मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.
5. श्री प्रवीन गुप्ता
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
6. श्री पुनीत गोयल
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
7. श्री मोहनजीत सिंह
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
8. श्री जे.पी. अग्रवाल
   प्रधान आयुक्त (भूमि-निपटान एवं आवास), दि.वि.प्रा.
9. श्री श्रीपाल
   प्रधान आयुक्त (भूमि, प्रबंधन कार्मिक एवं प्रणाली), दि.वि.प्रा.

<u>उपराज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल दिल्ली के सचिव
2. श्रीमती स्वाति शर्मा
   उपराज्यपाल दिल्ली के विशेष सचिव
3. श्री अजय चौधरी
   उपराज्यपाल दिल्ली के विशेष कार्यअधिकारी
4. श्री विश्वेन्द्र
   उपराज्यपाल दिल्ली के निजी सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद संख्या 01/2017</u>

राजनिवास में 18.11.2016 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(2)2016/एम.सी./डीडीए

18.11.2016 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई जैसा परिचालित किया गया।

<u>मद संख्या 02/2017</u>

10.08.2016 और 18.11.2016 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2016/एम.सी./डीडीए

10.08.2016 और 18.11.2016 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) पर टिप्पणी की गई।

<u>मद संख्या 03/2017</u>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के बाद वित्त वर्ष 2015-16 हेतु दि.वि.प्रा. के वार्षिक लेखा का अंगीकरण।

एफ.6(1)2016-17/ए/सी(एम) एन्युअल अकाउटंस 2015-16

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक लेखा का अनुसमर्थन।

<u>मद संख्या 04/2017</u>

फ्लैटों की मानक लागत निर्धारण के लिए 1 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी निर्माण कार्य की प्लिंथ एरिया दरों (पी.ए.आर.) का निर्धारण।

एफ.21(1671)/2001/एच.ए.सी./पार्ट.III

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 05/2017</u>

वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तावित संशोधित बजट अनुमान और 2017-18 के लिए बजट अनुमान।

एफ.4(3)बजट/2016-17/आर.ई.

वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तावित संशोधित बजट अनुमान और 2017-18 के बजट अनुमानों को अनुमोदित किया गया। संशोधित बजट अनुमान 2016-17 के उपयोग के लिए प्राधिकरण की बैठक के लंबित कार्यवृत्तों को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

माननीय उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि भविष्य के बजट प्रस्तावों में न केवल वित्तीय आंकड़े, शामिल हों बल्कि उसमें समय-सीमा सहित परियोजना विवरण भी शामिल होना चाहिए। परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय पहलुओं की तिमाही समीक्षा की जानी चाहिए।

<u>मद संख्या 06/2017</u>

मेट्रो स्टेशन के निर्माण/प्रवेश/निकास के निर्माण और एम.आर.टी.एस. परियोजना, चरण-III (लाइन-7) के मुकुंदपुर-यमुना विहार कॉरिडोर के लिए यातायात परिचालन हेतु नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, जोन-एच के निकट 18452.0 वर्गमीटर भूमि के भूमि उपयोग का 'मनोरंजन' (जिलापार्क) से 'परिवहन' (टी-3 एम.टी.आर.एस. परिचालन) में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20(8)/2012/एम.पी.

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया। आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना शीघ्र जारी की जाएं।

<u>मद संख्या 07/2017</u>

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न सुविधाओं/उपयोग परिसरों की अनुमति के संबंध में।

एफ.20(09)2015/एम.पी.

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया था।

क). प्रसताव में क्रम संख्या viii पर 'सामुदायिक हॉल/बारात घर' शब्द को बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल/बारात घर' के साथ बदला जाना है।

ख). राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह को व्यावसायिक (सी2) उपयोग जोन में अनुमति दी जानी है।

आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना शीघ्र जारी की जाए।

<u>मद संख्या 08/2017</u>

डी.एम.आर.सी. द्वारा प्रभावित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु योजना जोन क्षेत्र ई में त्रिलोकपुरी स्थित 3164.30 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि के भूमि उपयोग के मनोरंजनात्मक से आवासीय में प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव।

एफ.20(09)2016-एम.पी.

एजेंडा मद में निहित प्रसताव को अनुमोदन दिया गया आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना को शीघ्र जारी की जाए।

<u>मद संख्या 09/2017</u>

योजना जोन-'डी' में आने वाले कमला मार्केट, नई दिल्ली में 1.77 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि के भूमि उपयोग का मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) से व्यावसायिक सी-1 में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.3(16)91-एम.पी.

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना शीघ्र जारी की जाए।

<u>मद संख्या 10/2017</u>

योजना जोन-'सी' में आने वाले संजय गांधी, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित (1.71 हेक्टेयर+0.07 हेक्टेयर)=1.78 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि के भूमि उपयोग का मनांरंजनात्मक (जिला पार्क) से व्यावसायिक सी-1' में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव।

एफ.3(14)2008/एम.पी.

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना शीघ्र जारी की जाए।

<u>मद संख्या 11/2017</u>

(i)संतनगर, रानी बाग(ii) शिवा मार्केट, पीतमपुरा गाँव और (iii)शास्त्री पार्क, करोल बाग दिल्ली में स्थानीय निकायों द्वारा पहले से ही निर्धारित/निर्दिष्ट किए गये स्थलो पर बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण हेतु ऊँचाई में छूट का प्रस्ताव।

एफ. 3(7)/97-एम.पी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 12/2017

योजना जोन-'डी' में आने वाले सराय काले खाँ, नई दिल्ली के डी.यू.एस.आई.बी कार्यालय भवन निर्माण हेतु 4771.12 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूमि के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से सरकारी (सरकारी कार्यालय) में प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में शहरी आश्रय सुधार बोर्ड(डीयूएसआईवी) का प्रस्ताव

एफ. 20(2)2014/एम.पी

प्रस्ताव में निहित एजेंडा मद को अनुमोदित किया गया। अंतिम सूचना जारी करने के लिए मामले को शहरी विकास मंत्रालय,भारत सरकार के पास शीघ्र भेजा जाएगा।

मद संख्या 13/2017

कानूनी कार्यवाहियों को शुरू करने/बचाव आदि के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन।

एफ. 1(99)/एल.डी./कोर्डी./2016

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया।

माननीय उपराज्यपाल ने निदेश दिया कि मुकदमेबाजी को कम करने के संबंध में दिविप्रा की अल्प, मध्यम और लंबे समय की रणनीति के बारे में एक एजेंडा मद को प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मद संख्या 14/2017

दिमुयो-2021 के अनुसार जोन-'डी' की ड्राफ्ट क्षेत्रीय विकास योजना। (लुटियन्स बंगला जोन के अतिरिक्त

एफ .4(4)2007/एम.पी/पार्ट.l

प्रस्ताव में निहित एजेंडा मद को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया।

i). मद सं. 55/2015 दिनांक 24.04.2015 द्वारा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसा की गई नई दिल्ली सीमा की इंपिरियल सिटी के प्रस्ताव को हटा दिया जाए।

ii). दिल्ली मुख्य योजना-2021 में दर्शाने वाले प्रस्तावित भूमि उपयोग को पब्लिक डोमेन में रखा जाए।

iii). अनुलग्नक-1 में, दिल्ली को दो जोन और उपजोन में उप विभाजित करने वाले दो मानचित्रों को हटाया जाए।

iv). अनुलग्नक iii एवं iv में भूमि उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना सूची को मिलाया जाए और आरंभिक तिथि का उल्लेख किया जाए। अत:, अनुलग्नक iv में प्राधिकरण अनुमोदन को दर्शाने वाले कॉलम को हटा दिया जाए।

v). रिपोर्ट निम्न प्रकार से उपयुक्त रूप से संशोधित की जाए:

- अनुलग्नकों और पैरा को संख्या प्रदान करना।

-2014 ड्राफ्ट प्रस्ताव दर्शाते हुए संदर्भ।

45 दिन के लिए आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना शीघ्र जारी की जाए।

मद संख्या 15/2017

का.आ. 1191(ई) दिनांक 22.03.2016 द्वारा अधिसूचित दिल्ली एकीकृत भवन निर्माण उपविधि 2016 में प्रस्तावित संशोधन ।
एफ. 15(06)2016/एमपी/पार्ट.

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
इसको ध्यान में रखते हुए मद संख्या 77/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा प्राधिकरण की अनुशंसा को वापस लिया जाता है एवं हटाया जाता है।

मद संख्या 16/2017 (प्रस्तावित एजेंडा मद)

कठपुतली कॉलोनी का स्वस्थाने पुनर्विकास
एफ.के.पी.सी.1/दिविप्रा/2016

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>प्राधिकरण सदस्यों द्वारा उठाये गए 'अन्य बिंदु' :</u>

श्री ओ.पी. शर्मा ने निम्नलिखित मुद्दे उठाये:

1. विश्वास नगर क्षेत्र में मार्गाधिकार पर विद्यमान झुग्गियाँ हटायी जानी चाहिए।

(क). उपाध्यक्ष दिविप्रा ने कहा कि यह मामला प्रक्रियाधीन है।

2. उनके चुनाव क्षेत्र में पार्कों में शौचालयों के निर्माण हेतु दिविप्रा का धन्यवाद किया।

3. परशुराम तकनीकी संस्थान, रोहिणी से संबंधित मामले का समाधान किया जाए।

क) उपाध्यक्ष, दिविप्रा ने कहा कि यह मामला जल्द ही निपटाया जाएगा।

श्री सोमनाथ भारती ने निम्नलिखित मुद्दे उठाये:

1. यद्यपि शिवालिक क्षेत्र की निर्माण गतिविधियाँ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है, फिर भी वर्तमान में कोई भी एजेंसी भवन योजनाओं को संस्वीकृत नहीं कर रही है।

   क) आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने आश्वासन दिया कि संबंधित फाइलों को द.दि. नगर निगम द्वारा जल्दी ही अपने अधिकार में ले लिया जाएगा।

2. इस नीति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसके तहत इंदिरा कैम्प, वाल्मिकी कैम्प, और एफ- ब्लॉक मालवीय नगर में दिविप्रा की भूमि पर झुग्गी निवासियों के पुनर्वास हेतु प्रस्ताव किया गया था और क्या दिविप्रा ने इस संबंध में डी.यू.एस.आई.बी. को लिखा है।

क) उपाध्यक्ष दिविप्रा ने कहा कि दिविप्रा डी.यू.एस.आई.बी की नीति का अनुपालन करेगा और इस संबंध में डी.यू.एस.आई.बी. को लिखेगा।

3. उनके चुनाव क्षेत्र में खाली पड़े सभी दि.वि.प्रा. प्लॉटों का वास्तविक सत्यापन।

क). उपाध्यक्ष, दिविप्रा ने कहा कि माननीय सदस्य के लिए जब भी सुविधाजनक होगा यह काम कर दिया जाएगा ।

4. दि.वि.प्रा. अलकनंदा में प्रस्तावित मॉल की साइट पर विद्यमान सड़क की पहचान करें।

क) यह निर्णय लिया गया कि दिविप्रा टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया जाए।

5. बेगमपुर में तालाब की सफाई की आवश्यकता है।

क) दिविप्रा, और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के साथ एक संयुक्त साइट निरीक्षण आयोजित किया जाएगा।

6. बेगमपुर में स्थित भूमि को कब्रिस्तान के लिए आबंटित किया जाएगा।

क) मामले की जाँच की जाएगी।

7. हौज खास गाँव में वन भूमि पर वैकल्पिक सड़क का निर्माण।

क) यह निर्णय लिया गया कि दिविप्रा वन विभाग से अनुमति लेगा।

8. दिविप्रा ने समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान।

क) इस मामले में दिविप्रा को शहरी विकास मंत्रालय के जवाब की प्रतीक्षा है।

9. सतपुला पार्क में बाउंड्री वॉल का निर्माण।

10. प्राधिकरण के सभी सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में ओपन जिम की स्थापना और शौचालयों का निर्माण।

क) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने कहा कि पार्कों में जिम शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगें।

श्री विजेंद्र गुप्ता ने निम्नलिखित मामले उठाये:

1. जब कभी भूमि उपयोग का परिवर्तन के माध्यम से मनोरंजक उपयोग भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो दिविप्रा को मनोरंजक क्षेत्रों के विकल्प विकसित करने की संभावना देखनी चाहिए।

क) माननीय उपराज्यपाल चाहते हैं कि मनोरंजक सुविधाओं के प्रतिपूरक विकास की संभावनाओं का पता लगाए जाए।

2. ''औद्योगिक'' से ''आवासीय'' भूमि के उपयोग की नामांतरण दरों को और आगे देरी किए बिना अधिसूचित किया जाना चाहिए।

क) उपाध्यक्ष, दिविप्रा ने कहा कि इस संबंध में निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

3. मुख्य अभियंताओं को वित्तीय शक्तियाँ सौंपी जानी चाहिए औ कॉलोनियों को नगर निगमों में स्थानांतरित करने और कम शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

श्रीमती मीरा अग्रवाल ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

1. विशिष्ट उद्देश्यों हेतु गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित भूमि के दुरूपयोग के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
2. खोजे वाला पार्क के बेहतर रख-रखाव का कार्य एक वैकल्पिक संगठन को आबंटित कर देना चाहिए।
3. कैलाश एन्क्लेव में शमशान घाट के आस-पास खाली पड़ी भूमि की स्थिति को सूचित किया जाए।

श्री हर्षदीप मल्हौत्रा ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

1. दि.वि.प्रा. को अपनी संपत्तियों के कारण देय प्रभारों का भुगतान पूर्वी दिल्ली नगर निगम को करना चाहिए।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।